

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 1-1-16 त्र 31-12-16
 1. ओपकारी/कम्बारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें हो है श्रीगामी इंद्रेश अग्रवाल
 2. वर्तमान धारित पद सदाचाल पंडित
 3. वर्तमान वेतन 13190/- अगली बेतनवृद्धि को गठित 1-7-2017

उस जिले, उप सभाम, ज़िले का तथा एकम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरा		यह सम्बंध के नाम पर न हो तो बालाइये कि वह किसके नाम पर भारित है और उसका शासकीय कम्बारी से क्या संबंध है	वर्तमान मूल्य पर भारित है और उसका शासकीय कम्बारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अजित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, या अन्य किसी प्रकार से तथा अस्वत् को तीरिख और जिसस अंजित को गई हो उसका नाम	सम्पत्ति में वार्षिक आय	अधिपुस्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

... ऐसे नामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लाभगा मूल्य बतलाया जाए।

... इसमें अल्पकालीन पटे पर्दे भी समीक्षित हैं।

टिप्पणी : यथाप्रदेश शासकीय सदस्यक (आज्ञरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम द्वेषो, द्वितीय द्वेषो तथा तीसीय द्वेषो सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाराह महीने की अवधि के समान यह घोषणा-नाम पर कर प्रत्युत करें और उसमें बताए हुएके द्वारा अनुकूल स्थानकी नाम तथा उसके विवर सत् ये मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटे या बंधक पर उसके द्वारा घारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरा है।

शाकेमुखी—१५२६—असाप्रवि—२२-१०-०९—१५,०००.

हस्ताक्षर ... K. Palwanshi

नाम श्रीगामी इंद्रेश अग्रवाल

पर ... सदाचाल पंडित

विभाग अंग्रेजी संस्कृत सामग्री संस्कृत अभियान

प्रबल द्वारा

फार्म

*प्रधम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, चर्च 20

1. आपिकारी/कम्बरारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ...

श्रीराम शिवाय

1-16531-19-16

II

3. वर्तमान वेतन 11000..... आलो वर्तमानवेतन की गारंड

उस जिले, उप सभाग, तालुका

तथा ग्राम का नाम, जिसमें

सम्पत्ति स्थित हो

सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरा	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो	उसे किस प्रकार अंजित किया गया	**खरीद, परदा, बंधक, विरस्त,	सम्पत्ति में	अधियुक्त	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	पेट या अन्य किसी प्रकार से	वारिक आय	(7)	(8)
श्रीराम शिवाय	—	—	500000	पौरुषी	पौरुषी	पौरुषी	—	—	—

• जहां लाग न हो कार दीजिए
• ऐसे यानत में जहां पूँछ का मही-मही निधारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लाभा मूल्य बढ़ाताया जाए।
• इसमें अत्यधिक लोन पट्टे भी सीमित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश राज्यकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रधम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सन्दर्भ में यह अपेक्षित है कि, वह सेवा में पहली नियुक्त के समय और उसके बाद प्रत्यक्ष बाहर होनी की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें बहु उनके स्थानित की तथा उसके द्वारा अन्नत अपनी उस लियासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर जमके द्वारा घाति समस्त अचल सम्पत्ति के व्यारी दें।

शाकेमुझे—१२६—असमाप्ति—२२-१०-०९—१५,०००.

हस्ताक्षर

नाम श्रीराम शिवाय

पर श्रीराम शिवाय

विधा श्रीराम शिवाय

श्रीराम शिवाय

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवधि सम्पत्ति का विवरण, चर्ट 2016-17 - १५०५-१११६७३।।२।।२०१६/८५

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो—

श्राम भाण्डारा—~~ट्रैकर~~—२०१८-२०१९

3. वर्तमान वेतन ७०८० + १५०० अगली वेतनवृद्धि की तारीख १।।८।।२०।।७

2. वर्तमान धारित पर राशि २५५५.३३ III

उस जिले उप संभाग तालुका तथा क्रमांक का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे					यादि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका रासायनिक कमेचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया है खरीद पर या अन्य किसी प्रकार से नाम अर्जित को तरीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	सम्पत्ति में वारिक आय	अधियुक्त
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
ग्राम कुल लट पनगार, ग्राम प्रबल्लु	राजारामपुर क्रृष्णार्थगढ़	६।।०५।।५	कुलपुरी ग्रामपाल घाटिन	राजीव	निर्मल	नाम	रामसुल— ट्रैकर	२५५५.३३	III

जहाँ तापा न हो कार दीर्घ!

ऐसे यामले में जहाँ पूल का सही-सही निर्धारण करना संभव नहीं, वहाँ वर्तमान स्थिति के सदृश में सामान भूम्य वर्ततावाय जाए।

... ऐसे अन्यकालीन पर्दे भी समितित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सरकार (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में हफ्ते नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के प्रत्यारूप यह योग्या-प्रत्यक्ष भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थानान्तर की तथा उसके द्वारा अनेक अपना उस विवाह में मिली या उसके नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पर्दे या बधक पर उसके द्वारा प्राप्त समस्त अचल सम्पत्ति के व्यारों दे।

शाकेमुखी—१२६—असाप्रति—२२-१०-०९—१५,०००.

हस्ताक्षर—
नाम—रामसुल—
पर अल्पमुकुल गुड ग्रृ

विधा श्रामिक अनुदूषण समिति अधिकारी

फार्म

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो—

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पति का विवरण,

वर्ष २० ११-१२ ई ३१-१२-१६

२. वर्तमान धारित पर

३. वर्तमान बेतन

७/७०/- अगले बेतनशुद्धि की तरींख ।-७-२०।७

उत्तर जिले, उप संभाग, नामुका तथा का नाम, जिसमें सम्पति स्थित हो	सम्पति का नाम तथा व्यौर					यदि खांच के नाम पर न हो तो बताऊं दिये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिनियम द्वारा खरीद, पूर्य, बेचक, विवाह से टें या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तरींख और जिससे अधिनियम को गई हो उसका नाम	तथा व्यौर	सम्पति में वार्षिक आय	अभियुक्त	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	* वर्तमान मूल्य	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
पर्याय अमृत विश्वास (मा. ५०)	पर्याय अमृत विश्वास (मा. ५०)	पर्याय अमृत विश्वास (मा. ५०)	पर्याय अमृत विश्वास (मा. ५०)	—	—	—	—	—	—	—	—
पर्याय अमृत विश्वास (मा. ५०)	पर्याय अमृत विश्वास (मा. ५०)	पर्याय अमृत विश्वास (मा. ५०)	पर्याय अमृत विश्वास (मा. ५०)	—	—	—	—	—	—	—	—

“जहां तापा न हो काट दीजिए।
ऐसे नामदूत में जहां पूर्ण का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदर्भ में तापा मूल्य बताऊंया जाए।

“... इसमें अल्पकालीन पद्धति भी समिलित है।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश ग्रासकोप सेवक (आगरण) नियम, १९५९ के नियम १८(३) के अधिनियम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तीसी श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदर्भ में यह अधिनियम है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहर महानी की अधिकी के पर्याय पर यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत की और उसमें वह उनके स्थानित को तथा उसके द्वारा अभिनियमता उसे विवास में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदर्भ के नाम शाकेमुभी—१२६—असमाप्ति—२२-१०-०९—१५,०००.

विभाग
पर्याय अमृत विश्वास (मा. ५०)
पर्याय अमृत विश्वास (मा. ५०)

फार्म

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **भूमि मंत्री संघर्ष प्रदर्शन**

२. वर्तमान धारित पर **दृष्टियांक**

३. वर्तमान बत्ते **६४७०/.....** आती बेतनबृद्धि की तारख **१५५७८/२०/२**

उत्तर जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर		ग्रह तथा अन्य भवन	रुपी	* चतुर्भान मूल्य	यदि इसमें के नाम पर न हो तो चतुर्भान के वह किसके नाम पर धूमित हैं और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उत्तर किस प्रकार अर्जित किया गया		सम्पत्ति में वार्षिक आय	अधिकृत
	(1)	(2)					(3)	(4)		
						जहां ताप न हो काट दीजिए।				

** इसमें नामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागभाग मूल्य चराताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
**** इसमें अल्पकालीन पट्टे (आजरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के समान तथा यह घोषणा-पत्र भर कर प्रमुख लेंदे और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा विताया जाने के नाम पर पट्टे पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दे।

शाकेम्बो—१९२६—असाप्रवि—२२-१०-०९—१५,००.

हस्ताक्षर **भूमि मंत्री संघर्ष प्रदर्शन**
नाम **संघर्ष प्रदर्शन**
पर **दृष्टियांक**
विभाग **संघर्ष प्रदर्शन** अनुबंध

फार्म

१. ओपिकारी कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **भूमि अधिकारी नम्रदा भरती** ३/१२-१६/११-१२/१८

३. वर्तमान वेतन **२२७०/-** अगली बेतवहार की तारंख

१५४८५/२०१२

***प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पति का विवरण, वर्ष २०** १-१-१६/३/३-१२/१८

२. वर्तमान धारित पद **इकायी नम्रदा**

१५४८५/१२

उस जिले, उप संभाग, ज़िलेका नाम, जिसमें सम्पति स्थित हो	सम्पति का नाम तथा व्यर्थ		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह जिसके नाम पर धारित है और उसका क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अजिंत किया गया भेट या अन्य किसी प्रकार से आजिंत की गई हो उसका नाम तथा व्यर्थ	उसे किस प्रकार अजिंत किया गया भेट या अन्य किसी प्रकार से आजिंत की गई हो उसका नाम तथा व्यर्थ	सम्पति में वाचिक जाय	अधिकृत
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

हस्ताक्षर अधिकारी नम्रदा भरती

नाम भूमि अधिकारी नम्रदा भरती

टिप्पणी : यथाप्रदेश शासकीय संवेदक (आज्ञारण) नियम १९७९ के नियम १४(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तीसरी श्रेणी सेवा के प्रत्येक मरम्मत से पहले नियुक्त के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अंजित अभ्यास उसे विरासत में मिलती या उसके अपने जात पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम रखें। अन्य अवधि के नाम पर पढ़े या बधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पति के व्यर्थ दे।

शाकेम्भो—१९२६—अस्साप्रदी—२२-१०-०९—१५,०००.

विभागीय अधिकारी जमाली

फोर्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, रुप 20 ।-।-।।६ रुप 3।।।२।।।६

१. ओपिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ओपिकारी/कर्मचारी

३. वर्तमान वेतन ५५००/-

अलातो वेतनबद्दि को तारीख १५ दिसंबर २०१२

रुप ३०००/-

३०००/-

2. वर्तमान धारित पर ओपिकारी

उस जिल्हे, उप सभाग, ज़िल्हे का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर		गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया और धारित है और उसका तथा अर्जित को तरीख और विस्तै अर्जित को गई हो उसका नाम तथा व्यौर	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया और धारित है और उसका तथा अर्जित को तरीख और विस्तै अर्जित को गई हो उसका नाम तथा व्यौर	सम्पत्ति में वारिंग आय	अभियुक्ति
	(1)	(2)								

हस्ताक्षर:

जहां लाग न हो काट तीजए।

ऐसे नामते में जहां पूर्ण का महो-महो निर्धारण काना संभव न हो, वह वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लाखण मूल्य बताइया जाए।

इसमें अत्यधिक लोन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आज्ञापाण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तीसीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के प्रत्यावर्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थानित को तथा उसके द्वारा अंजित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के लिये संस्कृत के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बधक पर उसके द्वारा घारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

शालेमुखो—१२६—अस्सायाँ—२२-१०-०९—१५,०००.

विभाग अधिकारी लेखन नं ८०४५५१/८०४५५२

नाम ओपिकारी/कर्मचारी

पर ओपिकारी/कर्मचारी

